महत्वपूर्ण

संख्याः-2853/71-2-17-158/2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2017

विषयः नीट यू0जी0, 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2017/1056, दिनांक 08 अगस्त, 2017 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-2234/71-2-17-158/2017, दिनांक 03.07.2017 एवं संख्या-2823/71-2-17-158/2017, दिनांक 02.08.2017 द्वारा नीट यू0जी0 2017 की काउंसिलिंग/प्रवेश तथा सिक्योरिटी मनी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गये थे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0, 2017 की द्वितीय चक्र की काउंसलिंग/प्रवेश से पूर्व सिक्योरिटी मनी जमा किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका के कालम-3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अग्रेतर कार्यवाही किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क0सं0	सिक्योरिटी मनी जमा किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03.07.2017 एवं 02.08.2017 में उल्लिखित व्यवस्था।	सिक्योरिटी मनी जमा किए जाने के सम्बन्ध में यथा संशोधित व्यवस्था।
1	2	3
1	शासनादेश दिनांक 03.07.2017 द्वारा नीट यू0जी0 2017 की ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल/ डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 20,000/-(रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में एलॉटमेन्ट लैटर डाउनलोड के पहले ऑनलाईन प्रकिया (डेबिट/केडिट कार्ड/ इन्टरनेट बैंकिंग से ही) के माध्यम से जमा किए जाने के आदेश निर्गत किए गये थे। शासनादेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से च्वाइस लाकिंग के पूर्व ही सिक्योरिटी की धनराशि	द्वितीय चक्र की काउसिलिंग हेतु सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालय/ संस्थानों हेतु रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही अभिलेखों के सत्यापन के समय (निर्धारित तिथि 09.08.2017 से 12.08.2017 तक) सम्बन्धित केन्द्रों पर जमा करना अनिवार्य होगा।

JD(MB)/A03
09-8-17

	रू0 2.00 लाख ऑनलाईन प्रक्रिया (डेबिट / क्रेडिट कार्ड / इन्टरनेट बैंकिंग) तथा बैंक द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये जाने के निर्देश दिए गये थे।	

3— काउंसिलिंग / प्रवेश / सिक्योरिटी मनी के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.07.2017 एवं 02.08.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

4— महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा उपर्युक्त आदेशों का व्यापक प्रचार—प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा तथा निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों को प्रश्नगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश की प्रति वेबसाइट www.updgme.in एवं https://upneet.gov.in पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ द्वारा अपलोड की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
08/08/17

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-2853 (1)/71–2–2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया / डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 / डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 षासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान / अल्पसंख्यक डीम्ड विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री / मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा षिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।